झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–28 वर्ष 2017

सुनील कुमार बर्णवाल उर्फ मुन्ना उर्फ सुनील कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. अनिता देवी उर्फ ममता देवी
2. रिशु कुमारी .... विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए :– सुश्री रश्मि कुमारी, अधिवक्ता।

विपक्षीगण के लिएः– .....

यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुना गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उसने कहा कि ऑडियो और वीडियो अच्छा था।

आई0ए0 सं0 436/2017

05/21.09.2021 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

यह अंतवर्ती आवेदन, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को दायर करने में हुई 2 दिनों की देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

वर्तमान अंतवर्ती आवेदन में विवाद की प्रकृति और दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, आई0ए0 संख्या 436/2017 को अनुज्ञात और निपटाया जाता है। वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को दायर करने में 2 दिन की देरी को माफ किया जाता है।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 28/2017

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विरोधी पक्षों को नोटिस की वैध तामील के बावजूद उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोडरमा द्वारा भरण–पोषण मामला संख्या 31/2014 में दिनांक 03.10.2016 को पारित आदेश के खिलाफ इस मुद्दे पर दायर किया गया है कि पत्नी भरण–पोषण की हकदार नहीं है और मुआवजे की मात्रा भी अत्यधिक है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पहले एक केस, सी0 केस0 संख्या 899/2014 (टी0आर0 संख्या 213/2018) में, पति (वर्तमान याचिकाकर्ता) के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर किया गया था, जिसके निर्णय में उनको बरी कर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए उसने 26.06.2018 के फैसले की फोटोकॉपी दाखिल की है। दिनांक 26.06.2018 के फैसले का प्रासंगिक पैरा–12 इस प्रकार हैः

रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सबूतों और सामग्रियों की जांच करने पर, मुझे पता चला कि अपने मामले को साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता सी0डब्ल्यू0–2 के रूप में

स्वयं सहित सदो गवाहों को परीक्षित कराई है। शिकायतकर्ता अर्थात् सी0डब्ल्यू0–2 ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपने साथ किए गए हमले का केवल सामान्य आरोप लगाया है और केवल उन झगड़ों के बारे में कहा है जो उसके वैवाहिक घर में घरेलू मामलों के कारण हुए थे और उसने आगे स्वीकार किया है और वह अब अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से रह रही है। इसके अलावा सी0डब्ल्यू0–1 को आरोप के बाद परीक्षित नहीं किया गया, इसलिए उसकी प्रतिपरीक्षा के अभाव में उसके साक्ष पर विचार नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता आरोप व्यक्तियों द्वारा की गई किसी तरह की मानसिक या शारीरिक यातना के बारे में पूरी तरह विफल रही है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के आरोप के संबंध में, उसने अपनी परीक्षा के पैरा 7 में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने दहेज की मांग नहीं की है। इसके अलावा, रिकॉर्ड के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच मामले से समझौता हो गया है और शिकायतकर्ता ने इस मामले में कोई और सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के घटकों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस तरह, शिकायतकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए और डीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में दयनीय रूप से विफल रहा है।

उपर्युक्त पैराग्राफ का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पक्षकारों के बीच समझौता है, इस न्यायालय द्वारा वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिंदु वर्तमान पुनरीक्षणवादी के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक पश्चातवर्ती विकास है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के तहत विशिष्ट प्रावधान के तहत, पुनरीक्षणवादी को आश्रय लेने की स्वतंत्रता है। जहां तक भरण–पोषण की मात्रा का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि पति कुछ भी नहीं कमाता है। एक असामान्य दलील दी गई है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद अधीनस्थ अदालत ने पति की आय का आकलन लगभग 50,000/– रूपये प्रति माह किया है। पक्षकारों की स्थिति और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, पत्नी को प्रति माह 5,000/– रूपये और बेटी को प्रति माह 1,000/– रूपये प्रति माह भरण–पोषण दिए गए हैं।

उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे भरण–पोषण प्रदान करने में आक्षेपित आदेश में कोई अतार्किकता नहीं मिलती है और इस प्रकार मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को, इसके द्वारा, खारिज किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)